संख्या-539/2018/2678/22-2-2017-17(120)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिनारायन उर्फ बाबा पाण्डेय पुत्र श्री रामबली, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-37112/प्रोबे-5-दयायाचिका/801 दिनांक 12.10.201 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिनारायन उर्फ बाबा पाण्डेय पुत्र श्री रामबली, जो-ग्राम-डुहवा, थाना-पैकौलिया, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 19.06.1981 को 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचे व बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या का अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 306ए/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-बस्ती के आदेश दिनांक 30.04.1990 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.06.2017 तक 28 वर्ष 03 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 37 वर्ष 03 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु,जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की गयी आख्या, कारित अपराध के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरिनारायन उर्फ बाबा पाण्डेय (बन्दी संख्या-37022) पुत्र श्री रामबली, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-539/2018/2678(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in